FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

मांगीलाल बनाम देवीशंकर

किस्म मुकदमा भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम नं. 91 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9/2020	–:निर्णय:– प्रार्थी पक्ष 1. श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री कालूलाल, 2. श्रीमती नन्दू बाई पत्नि श्री मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण–पोषण एव वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् का अवलोकन किया गया। जिसमें सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण 65 वर्षीय वृद्व दम्पत्ति तथा वरिष्ठ नागरिक हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने जीवनभर की मेहनत की कमाई से एक भूखण्ड संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार, कोटा में रीको से क्रय किया था, जिसकी लीज डीड प्रार्थी मांगीलाल के पक्ष में हो रही हैं। जो कि उपपंजीयक प्रथम कोटा के यहॉ पंजीकृत्त हैं। जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थी पक्ष उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं तथा अपने इन उदेश्यों की पूर्ति के लिये प्रार्थीगण के साथ लडाई–झगडा मारपीट करते हैं एंव एक माह पूर्व उक्त भूखण्ड संख्या एफ–392 पर जबरन कब्जा कर लिया। जिसकी रिपोर्ट थाना जवाहर नगर में की जा चुकी हैं। प्रार्थीगण को उक्त भूखण्ड पर जब तक जीवित हैं, रहने का अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि प्रार्थीगण का स्वयं का खरीदशुदा भूखण्ड हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी पक्ष को रीको से क्रयशुदा भूखण्ड संख्या– एफ–392 वाके इन्द्राविहार, कोटा से बेदखल करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना–पत्र थानाधिकारी जवाहर नगर को जॉच वास्ते तथा अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई वास्ते नोटिस जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. प्रेषित किये गये। थानाधिकारी जवाहर नगर ने प्रकरण में अपनी जॉच रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी श्री देवीशंकर एवं श्रीमती लक्ष्मी कुछ दो–ढाई माह पूर्व से यहॉ अर्थात् एफ–392 वाके इन्द्राविहार में रहने आये एवं इस सम्बन्ध में श्री मांगीलाल एवं श्री देवीशंकर के मध्य कई बार झगडा हुआ हैं। अप्रार्थी पक्ष श्री देवीशंकर एवं श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री देवीशंकर ने उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी पक्ष ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार कोटा पर अप्रार्थीगण कई वर्षो से काबिज हैं। प्रार्थीगण, अप्रार्थी को छोडकर अपने शेष दोनों पुत्रों चेतन व बजरंग के बहकावें में आकर अप्रार्थीगण को बेदखल कर विक्रय से प्राप्त प्रतिफल को हडपना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि मकान सख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार, कोटा प्रार्थी श्री मांगीलाल की पुश्तैनी सम्पत्ति हैं। अतः अप्रार्थीगण ने स्वयं के कब्जेशुदा पुश्तैनी सम्पत्ति मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार से बेदखल ना करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, थानाधिकारी जवाहर नगर की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट, अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली में क्रय के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेंज यथा भूखण्ड संख्या–एफ 392 वाके इन्द्राविहार, कोटा का "रीको" से लीज–एग्रीमेंट, थानाधिकारी जॉच रिपोर्ट का अवलोकन एवं बहस उभय	

Scanned with CamScanner

पक्ष सुनकर दौरानें बहस दर्शित तथ्यों का मनन किया गया जिसमें निम्न तथ्य उजागर होते हैं:–

1. प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में जिस मकान से अप्रार्थी पक्ष को बेदखल करने हेतु निवेदन किया हैं, उस मकान के दस्तावेज से सम्बन्धित लीज–एग्रीमेन्ट की कार्यवाही रीको से प्रार्थीपक्ष में से प्रार्थी क्रम सं. 01 श्री मांगीलाल के नाम दिंनाकः15 मार्च 2000 को सम्पादित हुई हैं।

2. थानाधिकारी जवाहर नगर ने भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाया हैं कि मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार कोटा प्रार्थी श्री मांगीलाल के नाम से हैं एवं अप्रार्थी पक्ष कुछ दो–ढाई माह पूर्व ही मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार कोटा में रहने आये हैं।

3. अप्रार्थी पक्ष ने अपने जवाब–प्रार्थना पत्र में मकान संख्या एफ–392, वाके इन्द्राविहार कोटा को प्रार्थीपक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति होना दर्शातें हुये अपना अधिकार बताया हैं किन्तु अपने कथन के समर्थन में मकान संख्या 392 वाके इन्द्राविहार कोटा के पुश्तैनी सम्पत्ति बाबत् किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

उक्त तथ्यों पर मनन करने के बाद प्रकरण में यह स्पष्ट होता हैं कि मकान संख्या एफ–392, वाके इन्द्राविहार, कोटा प्रार्थी क्रम संख्या 01 श्री मांगीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में स्वअर्जित आय से क्रय की हुई सम्पत्ति हैं जिसके लीज–एग्रीमेंट की कार्यवाही रीको से प्रार्थी क्रम संख्या 01 श्री मांगीलाल के पक्ष में दिंनाकः 15.03.2000 को सम्पादित होने से प्रार्थी श्री मांगीलाल विधिक स्वामी हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण–पोषण अधिनियम के तहत् को स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा की गई प्रार्थना अनुसार अप्रार्थी पक्ष क्रम संख्या 01 एवं 02 क्रमशः श्री देवीशंकर पुत्र श्री मांगीलाल एवं श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री देवीशंकर को मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार कोटा से बेदखल किया जाता हैं। थानाधिकारी जवाहर नगर, कोटा शहर को आदेशित किया जाता हैं कि उक्तानुसार मकान संख्या एफ–392 वाके इन्द्राविहार कोटा से अप्रार्थी पक्ष को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी पक्ष को सम्भलावें एवं पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। थानाधिकारी जवाहर नगर, कोटा शहर को तहरीर जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/20

मोहनलाल प्रतिहार
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Scanned with CamScanner